

समस्त जोनल अपर आयुक्त,

राज्य कर, उ0प्र0 / समस्त अनुभाग अधिकारी

राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पदों पर तैनात ऐसे कार्मिक जिनकी सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 16 वर्ष की सेवा अथवा अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरान्त 06 वर्ष की सेवा दिनांक-30-06-2022 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपके जोन/अनुभाग में कार्यरत ऐसे पात्र अपर सांख्यिकीय अधिकारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना उनकी मूल सेवा पुस्तिका सहित सम्बन्धित प्रविष्टियों पूर्ण कराते हुए मुख्यालय पर एक सप्ताह के अन्दर निम्न प्रारूप में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्थापित कराते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	प्रथम नियुक्ति की तिथि/पदनाम वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित)	तदर्थ नियुक्ति की स्थिति में विनियमितीकरण की तिथि	क्या किसी पूर्व की सेवा को ए0सी0पी0 के लाभ हेतु जोडा जाना है? यदि हां तो सेवावधि पद/वेतनमान	सीधी भर्ती के पद के संबंध में समय-समय पर प्राप्त पदोन्नतियों का विवरण	अब तक अनुमन्य समयमान वेतनमान की व्यवस्था/ए0सी0पी0 के लाभ	विचारणीय समयमान वेतनमान की लाभ एवं देयता की तिथि। (शासनादेश / प्रस्तर जिसके अन्तर्गत देय है)
01	02	03	04	05	06	07	08	
09	विचारणीय प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ एवं देयता की तिथि। (शासनादेश/प्रस्तर जिसके अन्तर्गत देय है)	विचारणीय द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ एवं देयता की तिथि। (शासनादेश/प्रस्तर जिसके अन्तर्गत देय है)	विचारणीय तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ एवं देयता की तिथि। (शासनादेश/प्रस्तर जिसके अन्तर्गत देय है)	समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के जिस लाभ पर विचार किया जाना है उसके पूर्व की 10 वर्ष की सेवावधि में संतोषजनक सेवा/अनुशासनिक कार्यावाही का विवरण	अभ्युक्ति			
10								
11								
12								
13								

12/10/22

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।